



2026:AHC:175526

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 633 वर्ष 2026

सर्वेश मिश्रा उर्फ कासिम खान

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बिश्राम तिवारी, श्रीराम धर दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के अधिवक्ता श्री विश्राम तिवारी और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।

यह प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 891/2025 (बीएनएस की धारा 316(5), 317(2), 318(4), थाना कोतवाली नगर, ज़िला बांदा) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी के आधार पर इस मामले में फँसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता का आरोप है कि तीन लोगों ने, जिनमें आवेदक भी शामिल है, रामनिधि फाइनेंस लिमिटेड के सिलसिले में महिलाओं के एक समूह से संपर्क किया और उन्हें उस संस्था से जुड़ने के लिए मनाया। आरोप है कि उन्होंने कहा कि 3,500 रुपये की प्रवेश शुल्क लगेगा और महिलाओं को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वस्थ बीमा और दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर सदस्य के खाते में 70,000 रुपये जमा किए जाएंगे और दो साल तक हर महीने 3,500 रुपये जमा करने होंगे। हालाँकि, माना गया है कि अब तक कथित पीड़ितों के खातों में ऐसी कोई रकम जमा नहीं की गई है। कहा गया है कि पुलिस की बनाई कहानी के आधार पर आवेदक को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 44,100 रुपये और एक मोबाइल बरामद दिखाया गया। यह भी कहा गया है कि आवेदक ने कथित पीड़ितों में से किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है और उसके पास से कोई आपत्तिजनक चीज़ बरामद नहीं हुई है। कथित घटना की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। इस स्तर पर, अभिलेख में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो आवेदक को कथित अपराध करने से जोड़ता हो। यह भी कहा गया है कि इस मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 01.12.2025 से न्यायिक हिरासत में है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक के भागने या अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक मुकदमे में सहयोग करने का वचन देता है। अंत में यह भी कहा गया कि ज़मानत पर रिहा होने पर, आवेदक ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए एजीए ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि आवेदक पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरोप कथित लेन-देन में आवेदक की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। इसलिए, आरोपों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखते हुए, ज़मानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता, 01.12.2025 से आवेदक द्वारा काटी गई जेल की अवधि और पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि आवेदक मुकदमे के दौरान ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक-सर्वेश मिश्रा उर्फ़ कासिम खान को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अगस्त 19, 2026

बृजेश